

## 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृता-

स्रोत: एचटी

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने पाँच और भाषाओं को "शास्त्रीय" भाषा का दर्जा दिये जाने को स्वीकृतीदी है, जिससे देश की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची में विस्तार हो गया है।

- पाँच भाषाओं के अलावा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी इस प्रतिष्ठिति श्रेणी में शामिल किया गया है।

### शास्त्रीय भाषा क्या है?

#### परिचय:

- वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने उनकी प्राचीन वरिसत को स्वीकार करने और संरक्षण करने के लिये भाषाओं को "शास्त्रीय भाषा" के रूप में नामित करना शुरू किया।
- भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएँ देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की संरक्षक हैं तथा अपने समुदायों के लिये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक हैं।

क्रम.	भाषा	घोषित करने का वर्ष
1.	तमिल	2004
2.	संस्कृत	2005
3.	तेलुगु	2008
4.	कन्नड़	2008
5.	मलयालम	2013
6.	ओडिया	2014

- भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ समृद्ध ऐतिहासिक वरिसत, गहन साहित्यिक परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक वरिसत वाली भाषाएँ हैं।
- महत्व:
  - इन भाषाओं ने इस क्षेत्र के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - उनके ग्रन्थ साहित्य, दर्शन और धर्म जैसे विविध क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदान करते हैं।
- मानदंड:
  - उच्च पुरातनता: प्राचीन ग्रन्थ और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1,500 से 2,000 BC की है।
  - प्राचीन साहित्य: प्राचीन साहित्य/ग्रन्थों का संग्रह जैसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान वरिसत माने जाते हैं।
  - ज्ञान ग्रन्थ: कर्सी मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थितियों कर्सी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो।
  - विशिष्ट विकास: शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति से भी उत्पन्न हो सकती है।
- लाभ:
  - 'शास्त्रीय' के रूप में नामित भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं।
  - शास्त्रीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाते हैं।
    - ये हैं राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार और महर्षि बादरायण सम्मान पुरस्कार।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये वियावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है।
  - इन भाषाओं को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिये, सरकार नेमैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CII) में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की।

## भाषा को बढ़ावा देने के लिये अन्य प्रावधान क्या हैं?

- **आठवीं अनुसूची:** भाषा का प्रगतशील उपयोग, संवरद्धन और उसको बढ़ावा देना। इसमें 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  - असमिया, बांगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- **अनुच्छेद 344(1)** संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 351** में प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना संघ का कर्तव्य होगा।
- **भाषाओं को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास:**
  - परियोजना **असमता का** लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।
  - **नई शिक्षा नीति (NEP): NEP नीति का** उद्देश्य संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करना है।
    - **केंद्रीय भाषा संस्थान (CIIL):** यह संस्थान चार शास्त्रीय भाषाओं: कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।
  - **केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधियक, 2019:** इसने तीन डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालयों को सेंट्रल डीम्ड का दर्जा दिया है: जिसमें दलिली में राष्ट्रीय संस्कृत और शरी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय और त्रिपुरा में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय शामिल हैं।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिये: (2014)

1. गुजराती
2. कन्नड़
3. तेलुगु

सरकार द्वारा उपरोक्त में से किसिको 'शास्त्रीय भाषा' घोषित किया गया है?

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 3  
(c) केवल 2 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/5-new-classical-languages-approved>